

आदेश की
क्रम सं0 और
तारीख


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24.6.23


अंशक अधिकारी के आंच प्रतिकेहन एवं
थाना प्रभारी के आंच प्रतिकेहन में प्रतिकेहि
क्रिया जशा है कि उक्त विवादित स्थल
पर ध्यान के लक्षण हुआ है

अतः उक्त विवादित पर च्याप-144
सं 30/23 लागू इला अचित प्रति 100 लेता
है एवं प्रथम पक्ष न्यायालय के लक्षार
अनुपस्थित है।

वाद की शरिवाही में समाप्त कर
अभिलेख में बन्द किया जाता है
लेखापत्र एवं सेवापत्र।


अनु. क० 562

त्रिभूषण


अनु. क० 562

त्रिभूषण